पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 03 जून, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 (रबी फसल) में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मोटे अनाज मक्का क्रय नीति का निर्धारण

मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 (रबी फसल) में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मोटे अनाज मक्का क्रय नीति का निर्धारण किया है। नीति में मोटे अनाज के अन्तर्गत मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में मक्का क्रय की अवधि 15 जून, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक होगी।

मक्के की खरीद जनपद फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बदायूँ, शाहजहाँपुर, रामपुर, सम्भल, बुलन्दशहर, हापुड़, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, बहराइच, बलिया, गोण्डा, फतेहपुर एवं मिर्जापुर में की जाएगी। अन्य जनपदों में आवक के दृष्टिगत खाद्य आयुक्त द्वारा मक्का खरीद का निर्णय लिया जा सकेगा।

उन क्षेत्रों में क्रय केन्द्र मुख्य रूप से स्थापित किए जाएंगे, जहाँ मक्के की अच्छी आवक होती है तथा खरीद की अच्छी सम्भावना हो। मक्के के क्रय हेतु 150 क्रय केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है। खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा मक्का क्रय का कार्य किया जाएगा।

क्रय केन्द्र खुलने का समय प्रातः 09 बजे से सायं 06 बजे तक होगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिलाधिकारी जनपद में क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे। कृषकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों, स्थानीय अवकाश व द्वितीय शनिवार को क्रय केन्द्र खुले रहेंगे।

खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 हेतु प्रदेश में मक्का क्रय का 25,000 मीट्रिक टन कार्यकारी लक्ष्य प्रस्तावित है। मक्का क्रय का जनपदवार लक्ष्य का निर्धारण आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा किया जाएगा। जनपद में केन्द्रवार लक्ष्य का निर्धारण जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में किसानों से मक्का खरीद कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। कृषक की भूमि एवं मक्के के बोये गए रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग की भूलेख सम्बन्धी वेबसाइट से लिंकेज देकर ऑनलाइन कराया जाएगा। क्रय एजेन्सियों द्वारा किसानों से क्रय किए गए मक्के के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड व एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खाते में भारत सरकार के पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से यथासम्भव 48 घण्टे के अन्तर्गत कराया जाएगा।

————————

प्रदेश के 18 शहरों एवं उनके समीपवर्ती महत्वपूर्ण कस्बों में नगरीय बस सेवाओं के लिए ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर 1,725 ए0सी0 ई–बसें संचालित किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 18 शहरों एवं उनके समीपवर्ती महत्वपूर्ण कस्बों में नगरीय बस सेवाओं के लिए ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (जी0सी0सी0) मॉडल पर ई–बसों को संचालित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह ई–बसें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा–वृन्दावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, वाराणसी एवं नोएडा (जेवर) सहित संचालित की जाएंगी।

परियोजना के अन्तर्गत निजी ऑपरेटरों द्वारा 18 शहरों में विभिन्न रूटों पर 09 मीटर तथा 12 मीटर की कुल 1,725 ए0सी0 ई–बसों का संचालन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि वाणिज्यिक संचालन तिथि से 12 वर्ष की होगी। ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रेक्ट मॉडल में ऑपरेटर को बसों की खरीद, ई–बस चार्जिंग हेतु आवश्यक चार्जरों की व्यवस्था, बस चालक एवं संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी कार्मिक उपलब्ध कराने, बसों का संचालन एवं अनुरक्षण कराने का दायित्व होता है। पूर्व निर्धारित प्रदर्शन मानकों के आधार पर ऑपरेटर को एक निश्चित शुल्क (ओ0 एण्ड एम0 फीस) का भुगतान किया जाता है।

योजना के अन्तर्गत 12 मीटर ई–बस हेतु 40 लाख रुपये एवं 09 मीटर ई–बस हेतु 35 लाख रुपये प्रति बस की दर से अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना के कियान्वयन हेतु डिपो निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार भूमि सम्बन्धित नगर निगमों एवं नोएडा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी है। टैरिफ/प्रयोक्ता शुल्क निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा।

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत निजी निवेश से न केवल सरकारी व्यय–भार कम होगा, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुनिश्चित सुधार होगा, क्योंकि निजी ऑपरेटर दक्षता, समयबद्धता एवं उपभोक्ता संतुष्टि पर विशेष ध्यान देंगे। निजी ऑपरेटरों को प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे नवीनतम तकनीकें एवं सेवा सुधार लागू होंगे। निजी ऑपरेटर निविदा प्रक्रिया से चयनित होकर अनुबन्धित किए जाएंगे और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ प्राप्त होगा।

————————

राज्य विधि अधिकारीगण को दी जाने वाली रिटेनरशिप/प्रति सुनवाई फीस में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने राज्य विधि अधिकारीगण को दी जाने वाली रिटेनरशिप/प्रति सुनवाई फीस में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में लम्बित/योजित होने वाले मुकदमों/प्रकरणों की प्रभावी पैरवी करने हेतु आबद्ध किये गये अधिवक्तागण को दी जाने वाली रिटेनरशिप/बहस फीस का निर्धारण न्याय विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा किया गया है। उक्त शासनादेशों को निर्गत हुए लगभग 10 से 15 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विभिन्न न्यायालयों में आबद्ध राज्य विधि अधिकारीगण द्वारा माननीय न्यायालयों में राज्य सरकार के हितों को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इसके दृष्टिगत जनपद के माननीय न्यायालयों, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित मुकदमों/प्रकरणों की प्रभावी पैरवी करने हेतु आबद्ध किये गये अधिवक्तागण को दी जाने वाली रिटेनरशिप/प्रति सुनवाई फीस में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही न्याय विभाग द्वारा की जाएगी।

शासकीय अधिवक्तागण (जनपद न्यायालयों हेतु)

		वर्तमान में देय		प्रस्तावित	
क्र0सं0	**पदनाम**	**रिटेनर फीस (प्रतिमाह) (रुपये में)**	**बहस फीस (प्रति कार्य दिवस) (रुपये में)**	**रिटेनर फीस (प्रतिमाह) (रुपये में)**	**बहस फीस (प्रति कार्य दिवस) (रुपये में)**
1.	जिला शासकीय अधिवक्ता	9000/–	1650/–	**14000/–**	**2500/–**
2.	अपर जिला शासकीय अधिवक्ता	7200/–	1500/–	**11000/–**	**2300/–**
3.	सहा0 जिला शासकीय अधिवक्ता	6300/–	1500/–	**10000/–**	**2300/–**
4.	उप जिला शासकीय अधिवक्ता	5400/–	1275/–	**9000/–**	**2000/–**
5.	नामिका वकील	–	1500/–	–	**2300/–**
6.	विशेष अधिवक्ता	–	1500/–	–	**2300/–**
7.	न्याय मित्र (दीवानी/फौजदारी)	–	1500/–	–	**2300/–**

महाधिवक्ता

		वर्तमान में देय		प्रस्तावित	
क्र0सं0	**पदनाम**	**रिटेनर फीस (प्रतिमाह) (रुपये में)**	**बहस फीस (प्रति कार्य दिवस) (रुपये में)**	**रिटेनर फीस (प्रतिमाह) (रुपये में)**	**बहस फीस (प्रति कार्य दिवस) (रुपये में)**
1.	महाधिवक्ता	75000/–	40000/– (निर्धारित तिथि के अतिरिक्त दिल्ली या प्रदेश से बाहर न्यायालयों में मुकदमें की तैयारी हेतु रु0 20000/–)	**125000/–**	**60000/– (निर्धारित तिथि के अतिरिक्त दिल्ली या प्रदेश से बाहर न्यायालयों में मुकदमें की तैयारी हेतु रु0 20000/–)**

अपर महाधिवक्ता

		वर्तमान में देय		प्रस्तावित	
क्र0सं0	**पदनाम**	**रिटेनर फीस (प्रतिमाह) (रुपये में)**	**बहस फीस (प्रति कार्य दिवस) (रुपये में)**	**रिटेनर फीस (प्रतिमाह) (रुपये में)**	**बहस फीस (प्रति कार्य दिवस) (रुपये में)**
1.	अपर महाधिवक्ता	30000/–	20000/–	**50000/–**	**40000/–**
2.	अपर महाधिवक्ता (मा0 उच्चतम न्यायालय)	30000/–	30000/–	**50000/–**	**50000/–**

मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ता/वाद धारक/ब्रीफ होल्डर

		वर्तमान में देय		प्रस्तावित	
क्र0सं0	**पदनाम**	**रिटेनर फीस (प्रतिमाह) (रुपये में)**	**बहस फीस (प्रति कार्य दिवस) (रुपये में)**	**रिटेनर फीस (प्रतिमाह) (रुपये में)**	**बहस फीस (प्रति कार्य दिवस) (रुपये में)**
1.	मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता (लोक अभियोजक)	22000/–	7000/–	**35000/–**	**12000/–**
2.	अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता/अपर शासकीय अधिवक्ता–I (अपर लोक अभियोजक–I)	12000/–	5000/–	**20000/–**	**8000/–**

3.	स्थायी अधिवक्ता/अपर शासकीय अधिवक्ता–II (अपर लोक अभियोजक–II)	9000/–	3000/–	**15000/–**	**5000/–**
4.	वाद धारक/ब्रीफ होल्डर	–	2000/–	–	**3000/–**

एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड/विशेष पैनल अधिवक्ता/वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता/कनिष्ठ पैनल अधिवक्ता (मा0 उच्चतम न्यायालय)

		वर्तमान में देय		प्रस्तावित	
क्र0सं0	**पदनाम**	**रिटेनर फीस (प्रतिमाह) (रुपये में)**	**बहस फीस (प्रति कार्य दिवस) (रुपये में)**	**रिटेनर फीस (प्रतिमाह) (रुपये में)**	**बहस फीस (प्रति कार्य दिवस) (रुपये में)**
1.	एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड	18000/–	10000/–	**30000/–**	**15000/–**
2.	विशेष पैनल अधिवक्ता	–	15000/– (एक से अधिक केस में पैरवी हेतु अधिकतम फीस रु0 25000 प्रति कार्य दिवस देय)	–	**25000/– (एक से अधिक केस में पैरवी हेतु अधिकतम फीस रु0 32500 प्रति कार्य दिवस देय)**
3.	वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता	–	8000/– (एक से अधिक केस में पैरवी हेतु अधिकतम फीस रु0 12000 प्रति कार्य दिवस देय)	–	**12000/– (एक से अधिक केस में पैरवी हेतु अधिकतम फीस रु0 16000 प्रति कार्य दिवस देय)**
4.	कनिष्ठ पैनल अधिवक्ता	–	5000/– (एक से अधिक केस में पैरवी हेतु अधिकतम फीस रु0 7500 प्रति कार्य दिवस देय)	–	**7500/– (एक से अधिक केस में पैरवी हेतु अधिकतम फीस रु0 10000 प्रति कार्य दिवस देय)**

————————

विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत किए गए मानचित्रों के विनियमितीकरण तथा विकास क्षेत्र/विस्तारित विकास क्षेत्र अथवा विनियमित क्षेत्र, जिनकी महायोजना तैयार नहीं है, में मानचित्र स्वीकृति हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण

मंत्रिपरिषद ने विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत किए गए मानचित्रों के विनियमितीकरण तथा विकास क्षेत्र/विस्तारित विकास क्षेत्र अथवा विनियमित क्षेत्र, जिनकी महायोजना तैयार नहीं है, में मानचित्र स्वीकृति हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित किए जाने से राज्य सरकार पर किसी प्रकार का व्ययभार नहीं आएगा। विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत किए गए मानचित्रों का विनियमितीकरण होगा तथा सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा। विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत जिला पंचायतों द्वारा स्वीकृत किए गए मानचित्रों की वैधता पर जो प्रश्नचिन्ह लग रहे हैं, उनका समाधान होगा।

विकास क्षेत्र/विस्तारित विकास क्षेत्र अथवा विनियमित क्षेत्र, जिनकी महायोजना तैयार नहीं है, में मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर मानचित्र स्वीकृत हो सकेंगे तथा नियोजित विकास सम्भव हो सकेगा। रियल एस्टेट क्षेत्र व निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी।

————————

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु आगरा, बरेली तथा प्रयागराज विकास प्राधिकरणों हेतु 355.06 करोड़ रु0 का अधिकतम सीड कैपिटल अनुमन्य, प्रथम किश्त के रूप में कुल 225 करोड़ रु0 स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आगरा, बरेली तथा प्रयागराज विकास प्राधिकरणों हेतु सीड कैपिटल की अधिकतम धनराशि 355.06 करोड़ रुपये अनुमन्य करते हुए प्रथम किश्त के रूप में कुल 225 करोड़ रुपये स्वीकृत करते हुए यह धनराशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है।

ज्ञातव्य है कि नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास के साथ–साथ नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना लागू है। योजना के अन्तर्गत नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु शासनादेश दिनांक 06 अप्रैल, 2023 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं।

योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाने का प्राविधान है। नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास मद में वित्तीय वर्ष 2026–27 में 3,500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इस धनराशि में से आगरा, बरेली एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरणों को सीड कैपिटल की प्रथम किश्त स्वीकृत की गई है। उक्त योजना में किसी संशोधन/परिमार्जन की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

————————

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पाण्डुनगर, कानपुर को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल/मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार को हस्तान्तरित किया जाएगा

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा कानपुर में संचालित जाजमऊ चिकित्सालय राज्य सरकार को हस्तान्तरित किया जाएगा

मंत्रिपरिषद ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय पाण्डुनगर, कानपुर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा संचालित जाजमऊ चिकित्सालय, कानपुर राज्य सरकार को हस्तान्तरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पाण्डुनगर, कानपुर को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल/मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार को हस्तान्तरित किया जाना है।

इस सम्बन्ध में किए जाने वाले एम0ओ0यू0 पर राज्य सरकार की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना को अधिकृत/नामित किया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा पाण्डुनगर चिकित्सालय परिसर में मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ करने की परियोजना की लागत लगभग 700 करोड़ रुपये है। पाण्डुनगर स्थित अस्पताल का संचालन मेडिकल कॉलेज के रूप में होने पर बीमितों (देशभर से) के बच्चों को एम0बी0बी0एस0 करने हेतु निर्धारित सीटों का 50 प्रतिशत कोटा प्राप्त होगा। राज्य सरकार का कोटा 35 प्रतिशत तथा केन्द्र सरकार का कोटा 15 प्रतिशत होगा।

प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में पहले एम0बी0बी0एस0 की 50 सीटें होंगी, जिन्हें कुछ वर्षों बाद बढ़ाकर 100 सीटें कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के साथ 300 बेड के पाण्डुनगर चिकित्सालय हेतु कुल 660 चिकित्सकों, प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्मिक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ तथा 203 आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी एवं हाउस कीपिंग स्टाफ के रूप में अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा पाण्डुनगर में मेडिकल कॉलेज खोले जाने से वाराणसी एवं ग्रेटर नोएडा सहित प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कुल 03 मेडिकल कॉलेज संचालित हो सकेंगे।

————————

उ0प्र0 की कारागारों में निरुद्ध बन्दियों की अप्राकृतिक मृत्यु पर मृतक बन्दियों के आश्रितों/निकटस्थ परिजनों को मुआवजा भुगतान हेतु 'उ0प्र0 बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति' बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बन्दियों की अप्राकृतिक मृत्यु पर मृतक बन्दियों के आश्रितों/निकटस्थ परिजनों को मुआवजा भुगतान हेतु 'उत्तर प्रदेश बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति' बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रस्तावित नीति में यथाआवश्यता भविष्य में किसी भी परिवर्तन/परिवर्धन हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के आदेशों के क्रम में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बन्दियों की अप्राकृतिक मृत्यु के प्रकरणों में वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली की संस्तुति के अनुरूप मृतक बन्दियों के आश्रितों को निर्धारित मुआवजा धनराशि के भुगतान हेतु प्रचलित व्यवस्था में समय लगता था।

अतएव कारागार में निरुद्ध बन्दी (सिद्धदोष/विचाराधीन) की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर मृतक बन्दी के परिजनों/वैध आश्रितों को अविलम्ब मुआवजा भुगतान कराए जाने हेतु मंत्रिपरिषद ने कारागारों में निरुद्ध बन्दियों की सुरक्षा, मानवाधिकारों के संरक्षण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त नीति बनाए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया है।

————————

उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति–2024 के विभिन्न प्रस्तरों में निहित व्यवस्थाओं को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति–2024 के विभिन्न प्रस्तरों में निहित व्यवस्थाओं को संशोधित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। प्रदेश में सेमीकण्डक्टर क्षेत्र के निवेशकों को निवेश अनुकूल नीतिगत सहयोग, अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा तथा इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन से सामंजस्य के आलोक में यह संशोधन प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्ययभार निहित नहीं है।

प्रस्तावित निर्णय से प्रदेश में सेमीकण्डक्टर इकाइयों की स्थापना में सुगमता होगी। सेमीकण्डक्टर इकाइयों की स्थापना से, भारत सेमीकण्डक्टर उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा और जी0डी0पी0 में भी वृद्धि होगी।

उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति–2024 दिनांक 19 जनवरी, 2024 को अधिसूचित की गई है। यह नीति अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी रहेगी। निवेशक को सम्पूर्ण परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन परिचालन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। सेमीकण्डक्टर इकाइयों की स्थापना और औद्योगीकरण के फलस्वरूप प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे जनसामान्य का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान होगा।

————————

जनपद लखनऊ में उप निबन्धक कार्यालय, मोहनलालगंज के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने जनपद लखनऊ में उप निबन्धक कार्यालय, मोहनलालगंज के भवन निर्माण हेतु ग्राम मऊ, परगना व तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ की नॉन–जेड0ए0 गाटा संख्या–1134 सम्पूर्ण रकबा 791 वर्गमीटर एवं गाटा संख्या–1137 मि0 में 162 वर्गमीटर कुल दो किता रकबा 953 वर्गमीटर भूमि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को, सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित नियमावली 1987 यथासंशोधित नियमावली 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत, 90 वर्ष के पट्टे के माध्यम से कतिपय शर्तों के अधीन आवंटित/हस्तान्तरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा–3 के परंतुक में प्राविधानित है कि सरकार द्वारा या उसकी तरफ से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी विलेख पर, जहाँ इस मुक्ति के अभाव में, उस विलेख पर प्रभार्य शुल्क अदा करने का दायित्व सरकार का होता, कोई शुल्क प्रभार्य नहीं होगा। उपरोक्त प्राविधान के आलोक में राजस्व विभाग द्वारा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के पक्ष में पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क की देयता से मुक्त होगी।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 78–क के अन्तर्गत पंजीकरण फीस से छूट प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकार के पास निहित है। अतः राजस्व विभाग तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के मध्य प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित पट्टा विलेख पर पंजीकरण फीस से पूर्ण रूपेण छूट प्राप्त होगी।

ज्ञातव्य है कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग राजस्व अर्जन करने वाला महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व अर्जन में यह विभाग प्रदेश में तृतीय स्थान रखता है। विभाग में स्थानीय स्तर पर उप निबन्धक कार्यालय होते हैं। प्रत्येक उप निबन्धक कार्यालय में सब–रजिस्ट्रार कक्ष, रजिस्ट्रेशन कक्ष, अभिलेखागार तथा आम जन–मानस हेतु बड़ा बरामदा, शौचालय (महिला–पुरुष), पेयजल आदि की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। निबन्धन कार्यालयों में जनसामान्य को बेहतर सुविधा प्रदान किए जाने के दृष्टिगत जनपद लखनऊ में उप निबन्धक कार्यालय, मोहनलालगंज का भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

————————

जनपद झाँसी में पशुपालन विभाग की 05 एकड़ भूमि पर निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन सोनागिरी, शाखा झाँसी द्वारा गो–आश्रय स्थलों की स्थापना, पशु चिकित्सालय एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने ग्राम सभा बम्हरौली, परगना व तहसील मोंठ, जनपद झाँसी में गाटा संख्या–606 मि0 रकबा 9.777 हेक्टेयर भूमि में से पशुपालन विभाग की 05 एकड़ भूमि पर निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन सोनागिरी, शाखा झाँसी द्वारा गो–आश्रय स्थलों की स्थापना, पशु चिकित्सालय एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। प्रश्नगत भूमि पर पशुपालन विभाग का स्वामित्व बना रहेगा। इस सम्बन्ध में पशुपालन विभाग एवं निजी संस्था/दया भावना फाउण्डेशन के मध्य एम0ओ0यू0 किया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों–झाँसी, ललितपुर, महोबा, बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर एवं जालौन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निराश्रित गोवंशों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों तथा राजमार्गों को निराश्रित गोवंश से मुक्त करने एवं विचरण कर रहे निराश्रित गोवंशों को संरक्षित किए जाने तथा रात्रि के समय घायल पशुओं के आकस्मिक उपचार के उद्देश्य से आस–पास के क्षेत्रों में अतिरिक्त गो–आश्रय स्थल, वृहद गो–संरक्षण केन्द्रों, पशु रोग निदान प्रयोगशालाओं तथा गोवंश चिकित्सा हेतु चिकित्सालयों का निर्माण एवं अन्य विभागीय संस्थाओं की स्थापना हेतु भूमि का चिन्हीकरण/उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इनका संचालन सरकारी/गैर–सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नितान्त प्रासंगिक है।

————————

जनपद मुरादाबाद में नवीन जिला कारागार (2,000 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 38691.46 लाख रु0 की प्रशासकीय स्वीकृति अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने जनपद मुरादाबाद में नवीन जिला कारागार (2,000 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 38691.46 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किया है।

————————

जनपद ललितपुर में नवीन जिला कारागार (552 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 22506.11 लाख रु0 की प्रशासकीय स्वीकृति अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने जनपद ललितपुर में नवीन जिला कारागार (552 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 22506.11 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किया है।

————————

जनपद औरैया में नवीन जिला कारागार (1,056 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 26496.18 लाख रु0 की प्रशासकीय स्वीकृति अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने जनपद औरैया में नवीन जिला कारागार (1,056 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 26496.18 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किया है।

————————

जनपद कानपुर नगर में नवीन जिला कारागार (2,030 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 38405.40 लाख रु0 की प्रशासकीय स्वीकृति अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने जनपद कानपुर नगर में नवीन जिला कारागार (2,030 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 38405.40 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किया है।

————————

जनपद भदोही में नवीन जिला कारागार (574 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 20918.64 लाख रु0 की प्रशासकीय स्वीकृति अनुमोदित

मंत्रिपरिषद ने जनपद भदोही में नवीन जिला कारागार (574 बन्दी क्षमता) के निर्माण की सम्पूर्ण प्रायोजना एवं लागत धनराशि 20918.64 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किया है।

————————

PN-CM-Cabinet Decisions-03 June, 2026